HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2248/2026

Mohammed Irfan @ Kaka S/o Mohammed Edu, Aged About 34 Years, R/o Near Neelgaron Ki Masjid Kaithun Police Thana Kaithun District Kota Rural Rajasthan. (At Present Confined At Central Jail Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3081/2026

Pawan Soni Alias Rapiya S/o Dinesh Soni, Aged About 30 Years, R/o Saray Ka Sthan Police Station Kaithoonipol Hal Sakatpura Behind Tejaji Mandir Kunhadi District Kota (Rajasthan) (Accused Petitioner At Present Confined In Jail Kota).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abdul Rahim Khan Mr. Dushyant Singh Naruka
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना गुमानपुरा, जिला–कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29 स्वापक औषधि और मनः

प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु उक्त दोनों प्रार्थनापत्र पेश किये गये हैं।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **मौ0 इरफान** का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि कार में अभियुक्त के आधिपत्य से 6.94 ग्राम एमडीएमए ड्रग बरामद होना बताया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 17.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के छः आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, जिनमें से 04 प्रकरण 13 आरपीजीओ के हैं तथा दो मारपीट से संबंधित हैं। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **पवन** का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी को केवल सहअभियुक्तगण से किये गये पूछताछ के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 31.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के 11 आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, जिनमें से 04 प्रकरणों में वह राजीनामा से बरी हो चुका है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण 6.94 ग्राम एमडीएमए ड्रग से संबंधित है तथा प्रार्थी–अभियुक्तगण मौ0 इरफान व पवन के विरूद्ध पूर्व के क्रमशः 06 व 11 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रार्थी पवन के विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति का है। प्रार्थीगण आदतन अपराधी हैं। प्रकरण में अभी अन्वेषण जारी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/21, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराधों का अभियोग है। अभियुक्त मौ0 इरफान के आधिपत्यशुदा कार से 6.94 ग्राम एमडीएमए ड्रग बरामद की गई है तथा उक्त मादक पदार्थ अभियुक्त पवन से क्रय किया जाना बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त मौ0 इरफान

के विरूद्ध पूर्व के 06 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से दो प्रकरण धारा 307 से संबंधित होकर गम्भीर प्रकृति के हैं तथा प्रार्थी पवन के विरूद्ध पूर्व के 11 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से अधिकांश प्रकरण मारपीट, चोरी, लूट आदि से संबंधित है तथा एक प्रकरण इसी प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी–अभियुक्तगण आदतन अपराधी होकर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होना प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा जमानत की सुविधा प्राप्त कर उसका दुरूपयोग करते हुए बार–बार अपराध कारित किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में अभी अन्वेषण जारी है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /59-60